



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पांचम तल, सेक्टर-II, अलीगंज, लखनऊ-226024
Email: rocz.lko-mef@gov.in, goimofrollko@gmail.com

पत्र सं० 886/यूपी०/०६/१०२/२०१९/एफ०सी०/१५९

दिनांक : 12.10.2020

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

Online Proposal No. FP/UP/Road/39999/2019

विषय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे० एवं बाघक 14 वृक्षों के पतन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे० एवं बाघक 91 वृक्षों के पतन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाघक 105 वृक्षों के पतन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-760/11-सी-FP/UP/Road/39999/2019, दिनांक-05.10.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की रवीकृति मॉगी है। प्रकरण में विचारोपरान्त इस कार्यालय के समस्त संरक्षक पत्र दिनांक 07.01.2020 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर चाही गई सूचनाएँ आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। सूचनाओं पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित 2.5 (ii)(d) के अनुसार संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु आप द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की योजना मान्य नहीं है, अतः आपसे अनुरोध है कि गैर वनभूमि पर संशोधित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की योजना एवं भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

भवदीया,

(प्रवी गंगवार)
12/10/2020

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उ०प्र०।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, हापुड़ एवं गाजियाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, जोन-5, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्रवी गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 886/11सी-FP/UP/Road/39999/2019, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 15, 2020

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, हापुड़ एवं गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, जोन-5, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय वन संरक्षक मेरठ वृत्त मेरठ
पत्रांक 1357/11 दिनांक 9/10/2020

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी हापुड़ एवं गाजियाबाद वन प्रभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के तत्काल निराकरण हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र